10/3/2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। संलग्न विपक्षीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त संलग्न पत्रावली हैं। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। आवाज लगवाई गई, उपस्थित नहीं। अतः विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068-2071 अनुसार मौजा चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 1520 रकबा 0.11 हे., 1546 रकबा 0.45 हे. के प्रार्थीगण खातेदार हैं। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना

2020 / 00080

पत्र अन्तर्गत धारा 128 र.भू.अ. स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम चित्तौड़गढ़ स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1520 रकबा 0.11, 1546 रकबा 0.45 कित्ता 2 रकबा 0.56 हे. भूमि की बिना किसी के कब्जे में दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगढ़ी शुल्क 1000.00 रुपए अक्षरे एक हजार रुपए प्रार्थीगण वहन करेंगे। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.03.17 18:03:34 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)